न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:–93/2018 तारीखरजू:–09.08.18 निर्णय दिनांक:–

उनवान:– राजेश कुमार बनाम मदन लाल वगै0

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा, तकास्मा

अन्तर्गत धारा 188 राज0 टि0 एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम	
9.8.2018	वादी की और से श्री जाकिर खॉन एडवोकेट दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा, तकास्मा अन्तर्गत धारा 188 राज0 टि0 एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणो को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 10.09.2018 को पेश हो। उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)	
10.9.18	वादी वकील उप० / प्रतिवादी नं. 1 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया / प्रतिवादी नं. 3 बावजूद सूचना उप. नहीं। प्रतिवादी नं. 2 का सम्मन बादतामील प्राप्त नहीं हुआ है P.O. सा० करौली मीटिंग में है बहन्जारा तामील व जवाब दिनांक 8.10.18 को पेश हो। [signature] रीडर	
8-10-18	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुनाव कार्य व्यस्त है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 26-11-18 को पेश हो। [signature]	
26-11-18	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुनाव मीटिंग में करौली है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 17-12-18 को पेश हो। [signature] पुनश्च: प्रतिवादी वकील ने जवाबदावा पेश किया / जवाब की नकल दिलवाई / P.O. साहिब चुनाव मीटिंग में करौली की आइंदा दिनांक 17.12.18 को पेश हो। [signature]	1143 28.3.19

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

इजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

1. राजेश कुमार पुत्र रामजीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम भैसीना तहसील टोडाभीम

वादी

बनाम

1. मदन लाल पुत्र हरबक्स जाति बैरवा निवासी ग्राम भैसीना तहसील टोडाभीम
2. बाबू लाल पुत्र छोटक्या जाति कोली निवासी गगवाना तहसील महवा जिला दौसा।
3. तहसीलदार (सब रजिस्ट्रार) टोडाभीम।

प्रतिवादी

दावा वावत इस्तरारहक (इन्द्राज दुरूस्ती) एवं स्थाई निषेधाज्ञा मु0न0. 93 सन 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री जाकिर खॉन एडवोकेट व हाजरी विष्णु कंटक एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू.हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री दी जाती है। कि

अतः वादी राजेश कुमार को ग्राम भैसीना की भूमि ख0न0 860/1 रकवा 0.23 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी न0 1 मदनलाल को ख0न0 860 रकवा 0.24 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी न0 3 बाबूलाल को ख0न0 860/2 रकवा 0.23 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बैक ऋण का अंकन बदस्तूर रहेगा। नक्शा ट्रेस की प्रति सलग्न रहेगी। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जेकाश्त की भूमि मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

नतीजा...............मुबलिंग...........................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 13.06.2019 को जारी की गई।

दस्तखत.............................. उपजिला कलक्टर

ओहदा.............................. टोडाभीम (करौली)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
वक्त इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 93/2018 — तारीख रजू:– 09.08.2018

पीठासीन अधिकारीः– श्री दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. राजेश कुमार पुत्र रामजीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम भैसीना तहसील टोडाभीम

वादी

बनाम

1. मदन लाल पुत्र हरबक्स जाति बैरवा निवासी ग्राम भैसीना तहसील टोडाभीम
2. बाबू लाल पुत्र छोटक्या जाति कोली निवासी गगवाना तहसील महवा जिला दौसा।
3. तहसीलदार (सब रजिस्ट्रार) टोडाभीम।

प्रतिवादी

दावा वावत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री जाकिर खॉन एडवोकेट (वादी)

श्री विष्णु कंटक एडवोकेट (प्रतिवादी न0 1)

निर्णय — **दिनांकः– 13.06.19**

संक्षेप मे वाद पत्र इस प्रकार है कि आराजी ख0न0 860 रकवा 0.70 है.ग्राम भैसीना तहसील टोडाभीम मे स्थित है। भूमि की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी न0 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर 1/3 दर्ज रिकार्ड है। वाद पत्र मे वादी ने अंकित किया है। कि वादी एवं प्रतिवादी गण 1 व 2 ने मौके पर मुताबिक हिस्सा बहामी बटवारा कर रखा है जिसमे वादी का हिस्सा प्रतिवादी न0 1 व 2 के मध्य मे स्थित है। तथा वादी ने अपने हिस्से मे बाजरा बोया है। किन्तु रिकार्ड मे विधिवत रूप से बटवारा नही होने के कारण वादी व प्रतिवादी 1 व 2 मे डोल मेड को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है। धटना दिनांक 15.07.2018 की है प्रतिवादी न0 1 ने वादी के भूमि के हिस्से की तरफ मकान निर्माण हेतु पत्थर डलवा दिए गए। तथा मेरे बाजरे की फसल को बर्बाद कर दिया मेरे मना करने पर बोला कि मै यहा पर नीम खुदवाकर मकान निर्माण करवाउगॉ तथा झगडा करने पर उतारू हो गया। जब वादी ने प्रतिवादी गण से मताबिक रिकार्ड तहसील मे बटवारा करने को कहा तो प्रतिवादीगण तहसील मे बटवारा कराने को साफ इन्कार कर देया प्रतिवादी न0 1 ने बिना बटवारा किए हुए मकान निर्माण एवं बेदखल करने की वादी को धमकी दी इसलिए दावा वावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ है। वादी ने ख0न0 860 रकवा 0.70 है. ग्राम भैसीना की भूमि मे बहिस्सा 1/3 का अलग खाता कायम कराने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की इस्तदुआ की है। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

1 की ओर से उनके वकील उपस्थित हुए प्रतिवादी न0 2 व 3 वावजूद सूचना उपस्थित नही हुए।

प्रतिवादी न0 1 ने जबाब इस प्रकार पेश किया कि वह उक्त आराजीयात मे वह अपने 1/3 हिस्से मे काबिज एवं दखील तथा काश्त करता चला आ रहा है वादी की ओर से तथाकथित तारीख 15.7.18 की घटना गलत एवं मनगढंत अंकित की है। जबाब मे काउन्टर क्लेम भी पेश किया है। कि प्रतिवादी न0 1 के बहिस्सा 1/ 3 का मुताबिक बहामी बटवारा अलग खाता कायम किया जावे। दिनांक 17.12.2018 को वादी एवं प्रतिवादी न0 1 के अभिभाषक गण ने प्रार्थना पत्र इस आशय से पेश किया कि प्रतिवादी का जबाब दावा पेश हो चुका है। पक्षकारान अपने– अपने हिस्से की भूमि का बटवारा कायम कराना चाहते है। तनकीयात एवं साक्ष्य प्रस्तुत करना नही चाहते है। जमाबन्दी अनुसार दावा प्राथमिक डिक्री फरमा दिया जावे।

वकील उभयपक्ष को सुनकर एवं पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन कर यह दावा वावत तकास्मा दिनांक 17.12.18 को प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त कर बटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा बटवारा स्कीम प्रस्तुत की गई।

वकील उभयपक्षकारान ने बटवारा स्कीम का अवलोकन कर मुताबिक बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिक्री करने का कथन किया वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन कर पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 का एवं बटवारा स्कीम का अवलोकन किया है। वादी एवं प्रतिवादी न0 1 व 2 सहखातेदारान है। मुताबिक बटवारा स्कीम दावा डिक्री योग्य है।

अतः वादी राजेश कुमार को ग्राम भैसीना की भूमि ख0न0 860/1 रकवा 0.23 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी न0 1 मदनलाल को ख0न0 860 रकवा 0.24 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी न0 3 बाबूलाल को ख0न0 860/2 रकवा 0.23 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बैंक ऋण का अंकन बदस्तूर रहेगा। नक्शा ट्रेस की प्रति सलग्न रहेगी। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जेकाश्त की भूमि मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

13/6/19
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner